



पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

सराहनीय कार्य

दिनांक 29.09.2020

1-थाना फेस 2 नोएडा पुलिस द्वारा कम्पनी से कीमती कपड़ा चोरी करने वाले 04 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से लगभग 1100 मीटर कपड़ा कीमत लगभग 4 लाख 50 हजार रूपये व घटना मे प्रयुक्त गाडी छोटा लोडर ट्रक नम्बर यूपी 14 एचटी 7113 बरामद :

दिनांक 28.09.2020 को श्री अरूपवासु एडमिन ट्राइऐज ओवर सीज कम्पनी सी 74, 75 होजरी काम्पलैक्स नोएडा ने थाना फेस-2 पर सूचना दी थी कि उनकी कम्पनी में स्टोर के ताले की सील हटाकर करीब 1100-1200 मीटर कीमती कपड़ा चोरी कर लिया गया है। सूचना पर अभियोग पंजीकृत कर त्वरित कार्यवाही करते हुये दिनांक 28.09.2020 को थाना फेस-2 पुलिस द्वारा 04 अभियुक्तो 1.चाँद पुत्र इस्लाम अलवी 2. विनोद रावत पुत्र गुमान सिंह रावत 3. प्रशान्त कार पुत्र भिकारी चरन कार 4. प्रताप पण्डा पुत्र चैतन चरन पण्डा को कुलेसरा बार्डर दादरी रोड थाना क्षेत्र फेस-2 के पास से गाडी संख्या यूपी 14 एचटी 7113 से चोरी का माल लेकर जाते हुये गिरफ्तार किया गया है । अभियुक्तों के कब्जे से फैक्ट्री से चोरी किया गया लगभग 4 लाख 50 हजार रूपये कीमत का करीब 1100 मीटर (24 बन्डल थान) कपड़ा बरामद किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तो का विवरण-

1. चाँद पुत्र इस्लाम अलवी निवासी ग्राम ककराला हिण्डन पुस्ता थाना फेस 2 गौतमबुद्धनगर।
2. विनोद रावत पुत्र गुमान सिंह रावत निवासी ग्राम भरगांव थाना कोतवाली जिला पौड़ी उत्तराखण्ड वर्तमान पता 234 अलीगंज कोटला मुबारकपुर दिल्ली।
3. प्रशान्त कार पुत्र भिकारी चरन कार निवासी ग्राम गनियागंज थाना मारसा गाई जिला केनरा बड़ा उड़ीसा वर्तमान पता गार्ड कम्पनी सिक्वोरिटी एसडीएस ग्रुप।

4. प्रताप पण्डा पुत्र चैतन चरन पण्डा निवासी ग्राम साईकुल थाना रामचन्द्रपुर जिला कैनझर उड़ीसा वर्तमान पता कर्मवीर भाटी का मकान शिव मन्दिर के पास भंगेल थाना फेस 2 नोएडा गौतमबुद्धनगर।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0 578/20 धारा 457/380/411 भा0द0वि0 थाना फेस 2 नोएडा गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण-

1. 24 बन्डल (थान) करीब 1100 मीटर कीमती कपड़ा जिसकी कीमत लगभग 4 लाख 50 हजार रूपये
2. घटना मे प्रयुक्त एक छोटा लोडर ट्रक न0 यूपी 14 एचटी 7113



2- थाना सेक्टर 39 नोएडा पुलिस द्वारा 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार:

दिनांक 29.09.2020 को थाना सेक्टर 39 नोएडा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 568/2020 धारा 147/323/354 (क)/354(ख)/341/341/352/153 ए भादवि 7/8 पोक्सो एक्ट के अंतर्गत वांछित 02 अभियुक्त 1. शोएब पुत्र शौकीन 2. जुनैद उर्फ नावेद पुत्र शाहबुद्दीन को सदरपुर मदर डेरी थाना क्षेत्र सेक्टर 39 से गिरफ्तार किया गया है ।

अभियुक्तो का विवरण-

1. शोएब पुत्र शौकीन निवासी नया गांव नरसिंहपुर चुडियाला तह जानसढ थाना मीरापुर जिला मुजफ्फरनगर।
2. जुनैद उर्फ नावेद पुत्र शाहबुद्दीन निवासी ग्राम नया गांव नरसिंहपुर चुडियाला तहसील जानसढ थाना मीरापुर जिला मुजफ्फरनगर।

आपराधिक इतिहास का विवरण-

1. मु0अ0स0 568/2020 धारा 147/323/354क/354ख/341/ 341/352/153 ए भादवि 7/8 पोक्सो अधि0 थाना सेक्टर 39 नोएडा गौतमबुद्धनगर।

3- थाना एक्सप्रेसवे पुलिस द्वारा खनन अधिनियम में वाछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार :

दिनांक 29.09.2020 को थाना एक्सप्रेसवे पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 358/020 धारा 147/ 148/ 149/323/324/307/308/504/506 IPC व 4/21 खनन अधिनियम में वाछित चल रहे 02 अभियुक्त 1. सतवीर त्यागी पुत्र राजेन्द्र 2. सतीश पुत्र राजेन्द्र निवासीगण दलेलपुर, थाना नालिज पार्क गौतमबुद्धनगर को सेक्टर 39 थाना क्षेत्र स्थित कोविड सेंटर अस्पताल के नजदीक से गिरफ्तार किया गया है ।

अभियुक्तों का विवरण-

- 1.सतवीर त्यागी पुत्र राजेन्द्र निवासी दलेलपुर, थाना नालिज पार्क गौतमबुद्धनगर
2. सतीश पुत्र राजेन्द्र निवासी दलेलपुर, थाना नालिज पार्क गौतमबुद्धनगर

अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास-

- 1.मु0अ0सं0 358/20 धारा 147/148/149/323/324/307/308/504/506 IPC व 4/21 खनन अधिनियम थाना एक्सप्रेसवे
- 2.मु0अ0सं0 359/20 धारा 30 आयुध अधिनियम, थाना एक्सप्रेसवे
- 3.मु0अ0सं0 360/20 धारा 4/25 आयुध अधिनियम, थाना एक्सप्रेसवे

4- थाना सेक्टर 20 पुलिस द्वारा नकली एन्टी बॉडी चैक रैपिड किट (कोविड-19) के नकली

पाऊच बनाने वाले एम/एस पाउचिंग कम्पनी का संचालक गिरफ्तार, कब्जे से 27 बंडल, कुल 397000 नकली पाऊच, एन्टी बॉडी चैक रैपिड किट (कोविड-19) बरामद :

दिनांक 28.09.2020 को श्री विपिन दुबे, विधिक सलाहकार न्यू लाईफ कम्पनी डी-22 सेक्टर 7 नोएडा द्वारा सूचना दी गयी कि एम/एस पाउचिंग द्वारा एन्टी बॉडी चैक रैपिड किट (कोविड-19) के नकली पाऊच का निर्माण उनकी कम्पनी की नकल करके किया जा रहा है, सूचना पर थाना सेक्टर 20 पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये एम/एस प्रतीक पाउचिंग डी-50 सेक्टर 07 नोएडा पर छापेमारी कर कार्यवाही करते हुये कम्पनी के संचालक राजेश प्रसाद पुत्र कमल प्रसाद निवासी बी-215 न्यू अशोक नगर दिल्ली को गिरफ्तार किया गया है, मौके से एन्टी बॉडी चैक रैपिड किट (कोविड-19) के कुल 27 बंडल, जिनमें कुल 397000 नकली पाऊच बरामद हुए है ।

अभियुक्त का विवरण-

1. राजेश प्रसाद पुत्र कमल प्रसाद निवासी बी-215 न्यू अशोक नगर दिल्ली।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0 894/2020 धारा 63/65 कॉपीराईट अधिनियम (संशोधित)1957 थाना सेक्टर 20 नोएडा गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण-

1. 27 बंडल, कुल 397000 नकली पाऊच, एन्टी बॉडी चैक रैपिड किट (कोविड-19)



5- पुलिस मुठभेड के दौरान गैंगस्टर एक्ट का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 मो0सा0 व अवैध शस्त्र बरामद।

दिनांक 29.09.2020 को थाना फेस 2 पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार एक व्यक्ति को दादरी रोड सीएनसी कम्पनी के सामने रोकने की कोशिश की गई, तो उसने फूल मण्डी के पीछे की तरफ मोटरसाइकिल से भागने का प्रयास किया गया, पुलिस द्वारा रोकने पर अभियुक्त द्वारा पुलिस पार्टी पर जानलेवा फायर किया गया जवाबी फायरिंग में अभियुक्त गोली लगने से घायल/ गिरफ्तार, घायल अभियुक्त का नाम फहीमुद्दीन पुत्र यासीन तेली निवासी कस्बा व थाना गुलावठी जिला बुलंदशहर है। एक अभियुक्त सोनू मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश की जा रही है।

अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर में 01 खोखा कारतूस व 01 जिंदा कारतूस 315 बोर व एक मोटरसाइकिल जिसकी नम्बर प्लेट पर केवल आरजे लिखा हुआ था बरामद हुई है। अभियुक्त थाना फेस-2 नोएडा के मु0अ0सं0 568/2020 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था।

अभियुक्त का विवरण-

फहीमुद्दीन पुत्र यासीन तेली निवासी कस्बा व थाना गुलावठी जिला बुलंदशहर।

आपराधिक इतिहास का विवरण-

1. मु0अ0सं0 305/2020 धारा 380/411 भादवि थाना फेस-2 नोएडा गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 131/19 धारा 41/102 सीआरपीसी व 414 आईपीसी थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर
3. मु0अ0सं0 617/19 धारा 13 जुआ अधिनियम थाना सेक्टर 58 नोएडा
4. मु0अ0सं0 277/14 धारा 380/411 भादवि थाना सेक्टर 58 नोएडा गौतमबुद्धनगर।
5. मु0अ0सं0 411/11 धारा 420 467 468 471 भादवि थाना सेक्टर 58 नोएडा
6. मु0अ0सं0 255/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट सेक्टर 58 नोएडा गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण-

1. 01 तमंचा 315 बोर में 01 खोखा कारतूस व 01 जिंदा कारतूस 315 बोर
2. एक मोटरसाइकिल

6-थाना सेक्टर 49 पुलिस द्वारा अपहरण करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार:

दिनांक 29.09.2020 को थाना सेक्टर 49 पुलिस द्वारा मु0अ0स0 802/20 धारा 364ए भादवि के वांछित अभियुक्त सौरभ शर्मा पुत्र अनिल कुमार शर्मा निवासी बी-48 कल्याण कुंज बरौला थाना सै0 49 नोएडा गौतमबुद्धनगर को उसके घर से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त द्वारा दिनांक 26.09.2020 को अजय प्रताप वर्मा का अपहरण करने में अपनी गाडी प्रयुक्त आई-20 कार न0 यूपी 16 बीएल 9402 का प्रयोग किया गया था जिसमें अभियुक्त द्वारा अपहृत अजय प्रताप वर्मा को बंधक बनाकर होटल पहुंचाया गया था। घटना के बाद से अभियुक्त निरंतर फरार चल रहा था।

अभियुक्त का विवरण-

1. अभियुक्त सौरभ शर्मा पुत्र अनिल कुमार शर्मा निवासी बी-48 कल्याण कुंज बरौला थाना सै0 49 नोएडा गौतमबुद्धनगर।

आपराधिक इतिहास का विवरण-

1. मु0अ0सं0 802/20 धारा 364ए भादवि0 थाना सै0 49 नोएडा गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण-

प्रयुक्त आई-20 कार रजि0 नम्बर यूपी 16 बीएल 9402

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 29.09.2020 को श्रीमान पुलिस आयुक्त कमिश्नर गौतमबुद्धनगर महोदय द्वारा महिला सम्बंधित अपराध में संलिप्त रहे चार अपराधियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुये 06 माह के लिये जिला बंदर किया गया है। जिनका विवरण निम्नवत है :

1. मनीष पुत्र अनिल कुमार निवासी ग्राम डेरी स्केनर थाना बादलपुर गौतमबुद्धनगर।

(a) मु0अ0स0 151/15 धारा 354,341,147,504,506 भादवि थाना बादलपुर गौतमबुद्धनगर।

2. विरेन्द्र उर्फ लाला पुत्र तेजराम निवासी प्रहलाद कालोनी बरौला थाना सेक्टर 49 गौतमबुद्धनगर।

(a) मु0अ0स0 1031/17 धारा 376,506 भादवि थाना सेक्टर 49 गौतमबुद्धनगर।

3. शाहरूख पुत्र शाहिद निवासी अर्थला बडी मस्जिद के पास थाना साहिबाबाद जिला गाजियाबाद वर्तमान पता नंगला चरणदास थाना फेस-2 गौतमबुद्धनगर ।

(a) मु0अ0स0 1099/19 धारा 294 भादवि थाना फेस-2 गौतमबुद्धनगर।

4.शोएब पुत्र स्व0 इब्राहीम निवासी रटौल थाना खेकडा जिला बागपत वर्तमान पता बाबा मार्केट मेडिकल स्टोर नंगला चरणदास थाना फेस-2 गौतमबुद्धनगर ।

(a) मु0अ0स0 1099/19 धारा 294 भादवि थाना फेस-2 गौतमबुद्धनगर।